**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**डाक विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3175**
**उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026**

**डाकघरों को प्रधान डाकघर में परिवर्तित करने के लिए मानदंड**

**3175. श्री अरविंद गणपत सावंत :**
**श्री संजय उत्तमराव देशमुख :**

**क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में किसी भी डाकघर को प्रधान डाकघर में उन्नयन करने के लिए कोई नियम/मानदंड हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न जिलों, विशेषकर महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी डाकघर को प्रधान डाकघर में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) वाशिम जिला एक नया जिला होने के बावजूद वहां कोई प्रधान डाकघर उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधान डाकघरों की अनुपस्थिति के कारण नागरिक विभिन्न डाक सेवाओं और अन्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कब तक नए प्रधान डाकघर स्थापित होने की संभावना है?

**उत्तर**

**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) जी हां, डाकघर से प्रधान डाकघर में उन्नयन करने के लिए निर्धारित मानदंड **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) एवं (ग) किसी डाकघर को प्रधान डाकघर में उन्नयन/स्थापित किया जाना एक गतिशील प्रक्रिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव की मौजूदा स्थापना मानदंडों के अनुसार जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी डाकघर को प्रधान डाकघर में उन्नयन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(घ) मौजूदा मानदंडों के अनुसार, वाशिम जिले में प्रधान डाकघर के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(ङ) एवं (च) डाक विभाग, अपने प्रधान डाकघरों, उप डाकघरों और शाखा डाकघरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से डाक सेवाएं प्रदान करता है। प्रधान डाकघरों में उपलब्ध सभी डाक सेवाएं, उप डाकघरों और शाखा डाकघरों के माध्यम से भी प्रदान की जाती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को डाक सेवाएं बिना किसी रुकावट के मिलती रहें।

****

**अनुबंध**

**एलएसजी उप डाकघर को प्रधान डाकघर में परिवर्तित करने और प्रधान डाकघर के द्विभाजन हेतु मानक :**

1. प्रत्येक जिले में एक प्रधान डाकघर होना चाहिए, बशर्ते उससे न्यूनतम 20 उप डाकघर संबद्ध किए जा सकते हों। ऐसे पिछड़े क्षेत्रों या स्थानों के मामले में, जहां उप डाकघरों/शाखा डाकघरों के वित्तपोषण में निश्चित रूप से सुधार होने की संभावना है, में निदेशालय के अनुमोदन के अधीन निम्नतर मानक अपनाया जा सकता है।

2. यदि किसी जिले में कोई प्रधान डाकघर नहीं है, तो प्रधान डाकघर खोले जाने पर विचार किया जा सकता है, यदि उसी जिले में न्यूनतम 20 उप डाकघरों को प्रस्तावित प्रधान डाकघर से लाभप्रद रूप से जोड़ा जा सकता हो, इस बात पर विचार किए बिना कि मूल प्रधान डाकघर में 60 उप डाकघर हैं या नहीं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के उन्नयन से पिछले प्रधान डाकघर के अंतर्गत उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो जाए।

3. यदि किसी मौजूदा प्रधान डाकघर से जुड़े उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक है, तो उसे दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप नए या पुराने प्रधान डाकघर में से किसी में भी 20 से कम उप डाकघर न हों।

**टिप्पणी :** उप डाकघरों में विभागीय उप डाकघर भी शामिल हैं, जिन्हें पूरी तरह से वर्कलोड के आधार पर शामिल किया गया है।

****